

दिल्ली



राजपत्र

Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं० 31]

दिल्ली, अक्टूबर 24—अक्टूबर 30, 2003, बुधवार/कार्तिक 2—कार्तिक 8, 1925 [ग.ग.प.के.दि.सं. 239, 242, 244
No. 31] DELHI, OCTOBER 24—OCTOBER 30, 2003, THURSDAY/KARTIKA 2—KARTIKA 8, 1925 [N.C.T.D. No. 239, 242, 244

भाग—IV

PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएँ
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

उद्योग विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2003

DEPARTMENT OF INDUSTRIES

NOTIFICATION

Delhi, the 27th October, 2003

सं. एफ. 7 (103)/सी.ई.टी.पी./2001/सी.आई./785.—
दिल्ली सामूहिक अवजल शोधन संयंत्र अधिनियम, 2000 की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल अपीलीय प्राधिकरण का गठन करते हुए वित्त आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के चेयरपर्सन, सदस्य (सीवेज), दिल्ली जल बोर्ड तथा लेखा नियंत्रक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को सदस्यों के रूप में अपीलीय प्राधिकरण को उपरोक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्य के निष्पादन करने के लिए नियुक्त करते हैं।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

जे. पी. अग्रवाल, उप-सचिव

No. F. 7(103)/CETP/2001/CI/785.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 13 of the Delhi Common Effluent Treatment Plants Act, 2000, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby constitutes Appellate Authority consisting of Financial Commissioner, Govt. of N. C. T. of Delhi as Chairperson, the Member (Sewage), Delhi Jal Board and Controller of Accounts, Govt. of N. C. T. of Delhi as members, to exercise the powers conferred on and perform the function assigned to the Appellate-Authority under the abovesaid Act.

By Order and in the Name of
the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,
J. P. AGRAWAL, Dy. Secy

गृह (सामान्य) विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2003

सं. फा. 4/3/2003-गृह (सामान्य) 5372.—गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं. यू-1011/2/74-यू. टी. एल. के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री के. डी. रेड्डी, दानिक्स अधिकारी, अति. जिला अधिकारी (पूर्वी जिला) को दिल्ली महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर या उसी कार्यालय में समतुल्य पद पर बने रहते हैं, या अगले आदेशों तक इसमें, जो भी पहले हो, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सं. फा. 4/3/2003-गृह (सामान्य).—गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं. यू-11011/2/74-यू. टी. एल. के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री के. डी. रेड्डी, दानिक्स अधिकारी, अति. जिला अधिकारी (पूर्वी जिला) को जो वर्तमान में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हैं को दिल्ली महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर बने रहते हैं, या अगले आदेशों तक इसमें, जो भी पहले हो, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर,

पीटर बारा, उप सचिव

HOME (GENERAL) DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 28th October, 2003

No. F. 4/3/2003-Home(G) 5372.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. K. D. Reddy, DANICS Officer presently working as Additional Deputy Commissioner (East Distt.) Delhi to be an Executive Magistrate in the National Capital Territory of Delhi, till such time he holds the present post or till further orders, whichever is earlier.

No. F. 4/3/2003-Home(G).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. K. D. Reddy, DANICS Officer Executive Magistrate to be additional District Magistrates till such time he holds the present post or till further orders, whichever is earlier.

By Order and in the Name of
the Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

PETER BARA, Dy. Secy.

दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2003

सं. फा. 4/2/2003-गृह (सामान्य) 5412.—गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं. यू-11011/2/74-यू. टी. एल. के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या-2) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री एन. आर. शर्मा तदर्थ दानिक्स अधिकारी/दानिक्स अधिकारी, उप खण्ड अधिकारी (दरियागंज), को दिल्ली महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर या उसी कार्यालय में समतुल्य पद पर बने रहते हैं, या अगले आदेशों तक इसमें, जो भी पहले हो, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर,

बी. पी. सिंह, उप सचिव

Delhi, the 29th October, 2003

No. F. 4/2/2003-Home(G) 5412.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. N. R. Sharma Ad-hoc DANICS/DANICS Officer presently working as SDO (Darya Ganj) respectively to be an Executive Magistrate in the National Capital Territory of Delhi, till such time he holds the present post or till further orders, whichever is earlier.

By Order and in the Name of
the Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

B. P. SINGH, Dy. Secy.